

वित्त विभाग से  
परामर्शित

प्रेषक,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव—सह—  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक—०५-०२-१९

**विषय:-** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि देय हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निदेश के क्रम में द्वितीय अनुपूरक आगणन से उपबंधित केन्द्रांश मद में रुपये 30.80 करोड़ (तीस करोड़ अस्सी लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 20.54 करोड़ (बीस करोड़ चौवन लाख रुपये) अर्थात् कुल रुपये 51.34 करोड़ (एकावन करोड़ चौतीस लाख रुपये) राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित आवंटन।

### आदेश: स्वीकृत

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक—७(८४)/२०१८ NHM-१, दिनांक—०८.१०.२०१८ द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत ASHA Incentives for Routine and recurring activities हेतु कुल राशि रुपये 51,34,00,000/- (एकावन करोड़ चौतीस लाख रुपये) स्वीकृत किये जाने की सूचना दी गयी है। तदक्रम में राज्य एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक—५०९६, दिनांक—२६.१०.२०१८ के मांग पत्र के आधार पर केन्द्रांश मद में रुपये 30.80 करोड़ (तीस करोड़ अस्सी लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 20.54 करोड़ (बीस करोड़ चौवन लाख रुपये) अर्थात् कुल रुपये 51,34,00,000/- (एकावन करोड़ चौतीस लाख रुपये) वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से विभागीय राज्यादेश संख्या—१०२६(१०), दिनांक—३०.०१.२०१९ के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। तदक्रम में सहायक अनुदान मद में राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित आवंटन दी जाती है।

२. केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

#### (क) केन्द्रांश—

(i) मांग संख्या—२०, मुख्य शीर्ष—२२१०—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष—०३—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—एलोपैथी, लघु शीर्ष—११०—अस्पताल तथा औषधालय—उप शीर्ष—०२०३—१००४०२०४०४०५० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड—२०-२२१००३११००२०३, पी०५०४०५०५०४०३० कोड—९१५६, विषय शीर्ष—३१ ०६—सहायक अनुदान— वेतनादि के अलावा मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त एवं पुनरीक्षित उपबंधित राशि रुपये 4,83,01,93,000/-में से रुपये 30,80,00,000/- (तीस करोड़ अस्सी लाख रुपये) से विकलनीय होगा।

#### (ख) राज्यांश—

(i) मांग संख्या—२० के मुख्य शीर्ष—२२१०—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, ०३—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—एलोपैथी, ११०—अस्पताल तथा औषधालय, ०३०३—१००४०२०४०५० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड—२०-२२१००३११००३०३, पी०५०४०५०५०४०३० कोड—९१५६, विषय शीर्ष—३१ ०६—सहायक अनुदान— वेतनादि के अलावा मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त एवं पुनरीक्षित उपबंधित राशि रुपये 2,93,23,00,000/-में से रुपये 20,54,00,000/- (बीस करोड़ चौवन लाख रुपये) से विकलनीय होगा।



3. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता-PLA-263 विपत्र कोड-K8448001200027 में सुलभ करायेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय एवं मासिक अनुश्रवण करते रहेंगे।

7. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8244, दिनांक-02.08.2010 की कंडिका-2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

8. यह आवंटनादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों एवं वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

10. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी।

11. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

३/४/१९

(राजेश्याम साह)  
सरकार के विशेष सचिव  
Nagmani

ज्ञापांक-10/यो0-01-04/2018 22 (10)०

/स्वा०, पटना, दिनांक- ०५ -०२ -१९

प्रतिलिपि— महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, सज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (रा०स्वा०मि०), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।  
Nagmani